Dr. Gautam Kumar
BA(H) Part-II
PAPER-III

नीति निदेशक तत्वों का महत्व

(Importance of Directive Principles of Policy)

संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से निदेशक तत्वों को बहुत अधिक महत्व है। ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं तथा शासन की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका और न्याय-पालिका को इसकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ी है। इन तत्वों के महत्व का निम्नलिखित रूपों में अध्ययन किया जा सकता है:-

(i) **निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति** – नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। प्रो० पायली के अनुसार, "ये निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं।"

(ii) **नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व** – यदि निदेशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएँ ही मान लिया जाय, तो भी इसका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्नाकार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार ये निदेशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निदेशित एवं प्रभावित करते हैं।

(iii) शासन के मूल्यांकन का आधार - नीति निदेशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता-असफलता की जाँच करने का माप दण्ड भी प्रदान किया जाता है। निदेशक तत्वों के द्वारा जनता को विभिन्न राजनीतिक दलों की तुलनात्मक जाँच करने का अवसर प्रदान करते हैं।

(iv) सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के साधन - राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन है। निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जा सकता है।

(v) संविधान की व्याख्या में सहायक - संविधान के अनुसार, निदेशक तत्व देश के शासन के मूलभूत में हैं अर्थात् देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएँ उनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका भी शासन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण, भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देते हैं।

(vi) कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं :- संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान विधानमण्डल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में, "विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते।"

Scanned with CamScanner